न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— डा0 मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 38/2016

हरदेवाराम पुत्र महताराम उम्र 78 वर्ष जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

1. रामफल सिहं पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
2. मूलचन्द पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
3. सुमेर पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
4. बहादुर सिहं पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
5. विधाधर पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
6. दलीप पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
7. गुगन पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
8. रोहिताश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
9. प्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
10. बजरंगलाल पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
11. हरिराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
12. लेखराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
13. चन्दगीराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
14. भागीरथ पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
15. भानाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
16. संतोष देवी पत्नी स्व. हरफुल जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
17. पतासी देवी पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट्स

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 17.05.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामफल वगैरह
मु.न. 01/2016, अ. धारा 251 राज. काश्तकारी अधि. 1955

उपस्थितिः–

1 .श्री विजयपाल सिहं, एडवोकेट ------- ---------------अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री विजय सिहं बोरान, एडवोकेट-------------------रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,8 की ओर से।

–निर्णय–   दिनांक 24.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 17.05.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामफल वगैरह मु.न. 01/2016 अ.धा. 251 राज. काश्तकारी अधि. 1955 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि दरख्वास्त देहन्दागण/रेस्पोडेन्ट्स नम्बरान 1 लगायत 10 प्रार्थीगण ने अन्य खसरा नम्बरान की अराजियात के अलावा अपीलान्ट के खातेदारी काश्त के खसरा नम्बर 205 वाके ग्राम बास माना तन भाटीवाड के अन्दर से डोटेड लाईन से गुजरने वाले रास्ते को अपीलान्ट द्वारा बन्द करने पर खुलवाये जाने का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी की अदालत में पेश किया। और उक्त रास्ते को सैकड़ो वर्षो से मौके पर कायम रहना व प्रचलित होना बताया, व इसको नक्शा लट्ठा में डोटेड लाईन से अंकित होना बताया व इसको नक्शा लठठ्ा (किस्तवार) में डोटेट लाईन में अंकित होना बताया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सेक्शन 251 के तहत चाहे काश्तकारो के खेतों में जाने वाले कटानी रास्ते हो या व्यक्तिगत खेतों के जाने लिए बिना कटानी रास्ते हो जिनकी किसी पक्षकार के द्वारा बन्द करने या रास्ते की भूमि में अवरोध पैदा करने पर सर्वप्रथम रास्ते को खुलवाये जाने की कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत में कानूनन की जाती है। इस प्रकार से बकोल रेस्पोडेन्ट नं0 01 लगायत 10 प्रार्थीगण मामला हाजा प्रथम दृष्टया ही ग्राम बासमाना की ग्राम पंचायत भाटीवाड़ का प्रथम दृष्टया श्रवणाधिकार व श्रेत्राधिकार का बनता है। इस प्रकार से उक्त प्रकरण को निस्तारण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का बिन्दु योग्य अदालत मातहत की अदालत में निहित नही होने के कारण मामला हाजा योग्य अदालत मातहत को श्रवणाधिकार व

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

क्षेत्राधिकार नही होने के कारण योग्य अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 17.05.2016 मय खर्चा काबिले खारिज होने योग्य है। ख0न0 205 रकबा 1.26 है0 तहसील उदयपुरवाटी के नक्शा किस्तवार में अंकित डाटेड लाईन के सार्वजनिक रास्ते का खुलवाने हेतु इस्तदुआ की है तथा अन्य किसी आराजी से किसी प्रकार का कोई रास्ता खुलवाने की इस्तदुआ नही की मगर योग्य अदालत मातहत ने दरख्वास्त देहन्दागण 01 लगायत 10 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों के विरूद्ध में जाकर एक काल्पनिक नया रास्ता ख0न0 188 जोहड़ ख0न0 356/188 बजड़ व ख0न0 205 की दक्षिण सीमा के अन्दर दक्षिण सीमा के सहारे सहारे रास्ता भाटीवाड़ के चनाना जाने वाली सड़क तक ख0न0 205 में बन्द मानकर रास्ता खोलने का आदेश पारित कर दिया। इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित निर्णय काबिले खारिज योग्य है। अदालत मातहत के द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई का कोई सम्मन अपीलान्ट को नही मिला ना ही उक्त प्रकरण के सम्मन की तामिल बाजाप्ता कानूनी अपीलान्अ पर हुई है तथा अपीलान्ट को सुनावई का कोई मौका नही मिला। दरख्वास्त देहन्दागण 01 लगायत 10 के द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त में मूल रूप से इस्तदुआ भाटीवाड से चनाना जाने वाली सड़क पर पहूचने की दर्ज की है जिस पर पहूचने हेतु अवस्थित रास्ते में अवरोध का हटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूल तात्पर्य खातेदार काश्तकारो के आने जाने वाले रास्ते में अवरोध हटाने का है इस प्रकार योग्य अदालत मातहत ने ना तो दरख्वास्त देहान्दागण की दरख्वास्त पर ही सही ढंग से गौर किया व ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर सही ढंग से गौर किया और ना ही मामला हाजा को उपलब्ध दस्तावेजात को समक्षा ऐसी सुरत में योग्य अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 मय खर्चा काबिले खारिज योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्टद्य मंजूर फरमाई जाकर योग्य अदालम मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा मुकदमा उनवानी रामफल वगैरह बनाम हरिराम वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मु0न0 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 को मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नम्बरान 1 लगायत 10 प्रार्थीगण ने अन्य खसरा नम्बरान की अराजियात के अलावा अपीलान्ट के खातेदारी काश्त के खसरा नम्बर 205 वाके ग्राम बास माना तन भाटीवाड के अन्दर से डोटेड लाईन से गुजरने वाले रास्ते को अपीलान्ट द्वारा बन्द करने पर खुलवाये जाने का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी की अदालत में पेश किया। ख0न0 205 रकबा 1.26 है0 तहसील उदयपुरवाटी के नक्शा किस्तवार में अंकित डाटेड लाईन के सार्वजनिक रास्ते का खुलवाने हेतु इस्तदुआ की है तथा अन्य किसी आराजी से किसी प्रकार का कोई रास्ता खुलवाने की इस्तदुआ नही की मगर योग्य अदालत मातहत ने दरख्वास्त देहन्दागण 01 लगायत 10 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों के विरूद्ध में जाकर एक काल्पनिक नया रास्ता ख0न0 188 जोहड़ ख0न0 356/188 बजड़ व ख0न0 205 की दक्षिण सीमा के अन्दर दक्षिण सीमा के सहारे सहारे रास्ता भाटीवाड़ के चनाना जाने वाली सड़क तक ख0न0 205 में बन्द मानकर रास्ता खोलने का आदेश पारित कर दिया। अतः न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 को खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित उक्त निर्णय 17.5.2016 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

मैंने अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुवारटी ने हल्का पटवारी भाटीवाड़ की फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे के अनुसार वर्तमान में क से ख बिन्दू तक प्रचलित रास्ता था जिसे च बिन्दू पर अपीलांट द्वारा बंद करना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निणर्य दिनांक 17.05.2016 मु0 नंबर 01/2016 उनवानी सरकार बनाम हरदेवाराम यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू